

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 255 /11-सी-FP/UP/Others/16134/2015, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 28, 2023
सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग एस०एच०-1, किमी० 153-154 के मध्य ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में एस्सार ऑयल लि० द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/४६/२०१७/एफ०सी०/२९६, दिनांक २७.०७.२०२२ एवं मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर का पत्रांक-३००८/२-६, दिनांक २१.०६.२०२३

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के उपरोक्त पत्रांक-३००८/२-६, दिनांक २१.०६.२०२३ के द्वारा इस कार्यालय को दिनांक २७.०७.२०२३ को उपलब्ध कराया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना एवं उससे अभिलेख इस अनुरोध के साथ अपलोड कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 255 /11-सी-FP/UP/Others/16134/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
2. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, देवरिया।
3. डिविजनल मैनेजर, नयारा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०), अरिहन्त काम्पलेक्स, सिगरा, वाराणसी।

(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

पत्रांक 3008/2-6, दिनांक, गोरखपुर, जुन 21 /2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

जनपद देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग एस०एच०-1 कि०मी० 153-154 के मध्य ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ-

आपका पत्रांक-388/11-सी-एफपी/यू०पी/अदर/16134/2015 दिनांक 28.07.2022 व प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया का पत्रांक-2911/2-6, दिनांक 31.05.2023 व 3083/2-6, दिनांक 16.06.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया ने अपने पत्रांक- 2911/2-6, दिनांक 31.05.2023 व 3083/2-6, दिनांक 16.06.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वॉछित प्रस्ताव का अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध करायी गयी प्रस्ताव का अभिलेख मूल में एत्सह संलग्न कर तीन प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,

गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

संख्या- अ/ दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,

गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 3083 / 2-6 देवरिया, दिनांक, जून 16 / 2023
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :- जनपद-देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग (एस0एच-1) के कि0मी0 153-154 के मध्य ग्राम अहिलवार बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- आपके कार्यालय के पत्र संख्या-2878/2-6, दिनांक 05.06.2023 ।
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त विषयक प्रस्ताव में जारी एच-2 केस का जुर्माना वसूल कर केस प्रशमित कर दिया गया है तथा बचनबद्धता प्रमाण-पत्र एवं बयान क्षेत्रीय वन अधिकारी, बरहज द्वारा सत्यापित करके चार प्रतियों में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत कराने हेतु अग्रततर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-चार प्रतियों में ।

प्रि.डी.टी.
आ. को. करे।
मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर
16/6/23

भवदीय

R. J. J. J. J. J.
(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 2911 /2-6 देवरिया, दिनांक, मई 31 /2023
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर।

विषय :- जनपद-देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग (एस0एच-1) के कि0मी0 153-154 के मध्य ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ के पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/06/46/2017/एफ0सी0/296 दिनांक 27.07.2022 एवं आपके कार्यालय का पृष्ठांकन पत्र सं0-291/2-6, दिनांक 03.08.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है:-

क0 सं0	प्रश्न	उत्तरालेख
1	जी0आई0एस0 डी0एस0एस0 रिपोर्ट के अनुसार गुगल अर्थ इमेजरीज दिनांक 08.01.2021 के अनुसार डायवर्जन के लिए प्रस्तावित स्थल पर एक मौजूदा पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है राज्य सरकार डायवर्जन के लिये प्रस्तावित क्षेत्र में मौजूदा संरचना की उपस्थिति के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ?	उपरोक्त विषयगत प्रकरण में अवगत कराना है कि जो पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है व पेट्रोल पम्प स्वामी द्वारा अपने नीजी भूमि में स्थापित किया गया है उनके द्वारा एप्रोच मार्ग के रूप में वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग किया जा रहा है। जिस पर विभागीय रेंज केस संख्या-17/2022-23 दिनांक 20.09.2022 इजरा किया गया था। उक्त के क्रम में फर्म/प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए प्रतिकर की धनराशि रू0 50,000.00 दिनांक 12.05.2023 को जमा किया गया है। जिस पर ई-3 संख्या-12946/2023 दिनांक 12.05.2023 द्वारा वसूल किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है। प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा बचनबद्धता प्रमाण-पत्र दिये गये है कि एन0पी0वी0 एवं प्रतिकर की धनराशि जो राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी। उसे नियमानुसार जमा किया जायेगा।

उक्त आख्या के क्रम में एच-2 केस, ई-3 रसीद तथा बचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न इस आशय से प्रेषित है कि वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

निर्दिष्ट
कां० की० को
मुख्य संरक्षक
2-6-23

भवदीय
R. J. A. S.
(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया



डी/एच/06/46/2011/एच.सी./296

दिनांक: 27.07.2022

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
 भारत सरकार, नई दिल्ली, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Others/16134/2015

विभाग उत्तर-देवरिया में सोनीली-बनिया मार्ग एचएच-1 सिटी 153-154 के मध्य चाम-अशिलवार बुजुर्ग, देवरिया-बदर, चम्पार-देवरिया में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा पेट्रोल पंप के सम्पर्क मार्ग में प्रस्तावित 8070228 से संबंधित पत्र सूचि का विना दूर मातल के गैर सार्वजनिक प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सम्बन्धित विवेक प्रतिवेदन, उत्तर प्रदेश सरकार का पत्रांक-1438/21-2-2022-800(125)/2016, लखनऊ, दिनांक-22.01.2022

पर्यावरण विभाग का विवेक संशोधन उत्तर प्रदेश सरकार का पत्रांक सी-125/14-2-2016-800(125)/2016, लखनऊ, दिनांक 28.07.2017 का अन्तर्गत प्रश्न करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयकित प्रस्ताव पर पर्यावरण (अभिव्यक्त) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत न्याय प्रदान की स्वीकृति मिली थी।

प्रस्तावित प्रस्ताव में दृष्ट कार्यालय के समन्वयक पत्र दिनांक 11.09.2020 द्वारा प्रकरण में आवश्यक सूचना मांगी गई थी जिसकी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालन आद्य पर विचारोपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विना विन्दु पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराए ताकि आगे की आवश्यक सुनिश्चित की जा सके-

2. As per the GIS DSS report, an existing petrol pump is visible on the area proposed for diversion as per Google earth Imageries dated 08-01-2021. The State Government to submit a report with respect to presence of an existing structure in the area proposed for diversion.

महोदया,
 (डॉ० प्राची मंगवार)
 उप वन महानिरीक्षक (कैन्द्रीय)

प्रतिनिधि सूची

- 1. आनन मुन्ना का संरक्षक(वन), वन विभाग, 17, रत्ना प्रयाग मार्ग, लखनऊ, ७०००।
- 2. मुख्य वन संरक्षक(नगर) एवं वन्य जीव अधिकारी, वन विभाग, 17, रत्ना प्रयाग मार्ग, लखनऊ, ७०००।
- 3. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, देवरिया।
- 4. डिप्टी कमिश्नर, देवरिया।
- 5. डिप्टी कमिश्नर, नयास एनजी लि0 (अरिहन्त काम्पलेक्स, सिगर, यादगरी)।
- 6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आरोपित करावली।

आनूपम गुप्ता
 मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लखनऊ।

437
 28
 1-8-22

संरक्षक
 18-7-22

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लखनऊ।
 पत्रांक- 388 /11-सी-FP/UP/Others/16134/2015, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 28, 2022

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में सन्तुष्टि के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में सन्तुष्टि के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- डिप्टी कमिश्नर, नयास एनजी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0), अरिहन्त काम्पलेक्स, सिगर, देवरिया को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लखनऊ।
 दिनांक 27/07/2022

Page No. 827

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय वन अधिकारी, देवरिया को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पुस्तक सं० 67
23-5-2022

वन विभाग उत्तर प्रदेश

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

वन अपराध ~~संज्ञित अधिनियम 1987~~ के धारा 33 का
उल्लंघन
दिनांक 20.07.2022 रोज वरदान वीट 30000 गैर 11
रिपोर्ट नं० रेन्ज केस नम्बर 17/2022-23 20 20

1. अभियुक्त के नाम पिता का नाम तथा पता श्रीमान विनय कर्ण देवी 40 रेजि. जमा
सोनोली बलिया जिला K.M 153 से 154 के मध्य स्थित पुरा
उपहिलार मुमुन बलिया जिला देवरिया
2. गवाह का नाम, आत्मज तथा पता श्रीमान विनय कर्ण

3. कथित अपराध का पूरा विवरण सोनोली बलिया जिला K.M 153 से 154 के
मध्य स्थित पुरा मुमुन के संरक्षित वन अधिनियम 1987
अधिनियम 1987 का उल्लंघन है।

4. अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण
I.C.
अप. नं० अं०
R-4
30/08/22
23-5-2022 कुल हानि का मूल्यांकन

6. बरामद की गयी लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान
7. चालान तथा जाँच के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ महोदय
अज्ञात कर्ता है कि सोनोली
बलिया जिला K.M 153-154 के मध्य स्थित पुरा पर एक उपहिलार
मुमुन बलिया जिला देवरिया के उपहिलार का नं० (1) में है
उपहिलार का पेट्रोल पम्प स्थापित कर स्थापित किया गया
जो वानिकी अधिनियम 1987 के धारा 33 का उल्लंघन करता है
के अन्तर्गत अपराध है। पेट्रोल पम्प टलाजी से पुद लाइस
पर जोके 511 यह बलिया जिला के वन से ही स्थापित किया
गया है।
अज्ञात अपराध रिपोर्ट उपहिलार के वन से स्थापित (27)
अज्ञात अपराध रिपोर्ट उपहिलार के वन से स्थापित (27)
दिनांक 20 पर
अज्ञात अपराध
क. 30

दिनांक 20

दीर्घीय न्यायिकार्थी बरतण की पसंदाति के आधार पर केस नं० 50000/-

प्रभागीय केस नं०
रेन्ज अधिकारी

20 प्रमाणित करने की बात
उप-प्रभागीय न्यायिकारी
बामा, न.ब.बानिकी प्रभाग

कृपया अपनी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र भेजें।

महोदय, 142 केस नं० 17/2022-23 दिनांक 20-9-2022 में प्रभागीय निदेशक के अग्रदूत के तौर पर आधिकार बुद्धि गहवाल सदर जज पर देवाला में पहले पत्र स्थापित करना संशयित कृत धर्म का गैर बानिकी (रिप्रेन्स गार्ड) का प्रयोग किया जाना, अर्थात् कृषि अधिनियम 1950 का उल्लंघन स्वयं पाया गया। उक्त अपराध के सम्बन्ध में पहले अन्य अधिकारियों की रिपोर्ट पत्र स्थापित की गयी। विश्व भारती डेवी एंठरमेश जामुनवाल व प्रयोक्ता रेजेन्सी - डिपिजनल मैनेजर एन.जी. लिमेटड (एच थार आयल लिमेटड) उत्तरिहना कम्युनिस्स विंगर बाराणसी को विभागीय नोयस डेकर अपना पक्ष रखने का कृत गया। विभागीय नोयस के उत्तरान्त प्रयोक्ता रेजेन्सी / जम नोयस एन.जी. लिमेटड विंगर बाराणसी द्वारा अपने अपराध को स्वीकार करते हुए 142 केस में दूर अपराध का प्रातिकर व वन धर्म का गैर बानिकी के प्रयोग में ली गयी, धर्म की एन पी. की मूल्य राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा जे विधायित की जायेगी उसे सर्वे जमा कले हल प्राप्त होयार है इस हल स्थाप में वन्यन वइहा प्रमाण पत्र भी दिया गया है।

रेन्ज अधिकारी की अन्तिम रिपोर्ट तथा सिफारिश

अन्तिम जांच रिपोर्ट सेवा में उप-प्रभागीय न्यायिकार्थी देवाला महोदय, उक्त केस की जांच श्री प्रयोक्ता रेजेन्सी द्वारा संशयित वन धर्म के प्रयोग हेतु रिपोर्ट से सहमत हूँ प्रयोक्ता रेजेन्सी द्वारा संशयित वन धर्म के प्रयोग हेतु अन्तिम निर्णय प्रयोक्ता रेजेन्सी के तहत भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित धनराश को जमा कले हल वन्यन वइहा प्रमाण पत्र दिया है।
142 केस में देवाली अपराध का प्रातिकर 50,000/- रुपये 12946/23 दिनांक 20-9-2023 द्वारा जमा पत्र किया गया।
अन्तिम निर्णय प्रयोक्ता रेजेन्सी के तहत भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित धनराश को जमा कले हल वन्यन वइहा प्रमाण पत्र दिया है।
वनराजि अधिकारी..... के उपरोक्त अन्तिम प्रतिवेदन के अनुसार यह केस..... के कम्पाउण्ड किया जाता है और बरामद लकड़ियों को मिलान करने की अनुमति दी जाती है शेष..... रूपया जिनकी लकड़ियां नहीं बरामद हुई हैं। उसकी श्री..... से वसूल करके केस शूप किया जाता है।

अपराध से सम्बन्धित सामान जो क्रम सं०..... पर अंकित है। रीलीज जप्त किया जाता है। कम्पाउण्ड करने के पहले माजायत जोत की जमीन खाली करवा ली जाय, तथा तदनुसार सर्टिफिकेट रेन्ज अफसर दें। दीर्घीय न्यायिकार्थी देवाला केस नं० 50000/- (पचास हजार रुपये) पसंदाति के आधार पर केस नं० 50000/- प्रमाणित किया जाता है।

प्रभागीय निदेशक देवरिया

R. J. Devaria
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक बानिकी प्रभाग
देवरिया

दिनांक..... 20

वन विभाग, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, उ०प्र०

E-3 बुक नं० 12946

23

प्रभागीय वनाधिकारी नं०

वन प्रभाग देवरिया

सा० वा० प्रभाग, देवरिया दिनांक 12.05.2023

श्रीमती विजय देवी देवी (5/10) को (50,000/-) रुपये का चेक नं० K.M. 153-154 के माध्यम से

रुपया अर्थात् एकाठ भात (50,000/-) प्राप्त किया।

बाबत रेंज के अ.नं० 17/2022-23 से प्राप्त प्रथम की देवरिया

दिनांक 12.05.2023

प्राप्तकर्ता हस्ताक्षर

पद नाम

C.S.
R. J. Aar
(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
देवरिया

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बरहज रेंज
सा० वा० प्रभाग, देवरिया

व्यान

मैं विश्वभारती देवी पत्नी श्रीरमेश जायसवाल त्रि० अदित
बुजुर्ग लहरील स्तर जिजा देवीरम का मूल विवाही हूँ मैं सोने
विवाहा मार्ग 15.10.153-154 के मध्य अपना वैद्वील पम्प हक्का
किदा जाना वन भूमि का जैर वाणिजी उपयोग में ली गयी थी
क. वावत जारी विनाजीव. म. केश का जैर उका भई के
लेखा हूँ। वन भूमि का जैर-वाणिजी उपयोग में ली गयी
की सन पीवी. मूल्य शण्य सरकार। भारत सरकार द्वारा
विध्वार की जायेगी इस स्तर उका कले को लेखा हूँ

व्यान में आप विजा म्

(1934-1954)
क. ए

VISHWA BHARATI
विश्वभारती जायस
अदित्या बुजुर्ग

व्यान में समझ विजा म्

(अनुप बुजुर्ग)
क. ए

(अनुप बुजुर्ग)
क. ए

C.S.
R. J. J. J.
(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
देवरिया

बचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग (एस0एच0-1) कि0मी0 153-154 के मध्य ग्राम अहिलवार बुजुर्ग, तहसील-सदर जनपद-देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड (नायरा एनर्जी लिमिटेड) द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग के रूप में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग में जारी विभागीय एच-2 केस में जो प्रतिकर निर्धारित की जायेगी जो कम से कम हो, प्रार्थी द्वारा नियमानुसार जमा करने की बचनबद्धता दी जाती है इसके अतिरिक्त संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्रावधानों के तहत स्वीकृति के उपरान्त भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जो धनराशि निर्धारण किया जायेगा उसे नियमानुसार कैम्पा फण्ड में जमा कर दिया जायेगा। इसके लिए प्रार्थी एवं प्रयोक्ता एजेन्सी बचनबद्ध है। न्याय के लिए ईश्वर मेरी रक्षा करें।

2/10/18
संरक्षित वन अधिकारी
देवरिया
सि0 नं0 04/1/देवरिया

C.S.

R. J. Jha
(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
देवरिया

भवदीय
NAYARA ENERGY LTD.

Prakash
Divisional Manager


प्रयोक्ता एजेन्सी/कंपनी
नायरा एनर्जी लिमिटेड सिगरा वाराणसी
ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग
तहसील-सदर
जनपद-देवरिया
दिनांक
VISHWA BHARTI

6

33

एच-2 केस प्रशमित प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-देवरिया के अन्तर्गत एस्सार ऑयल पेट्रोल पम्प (नयारा एनर्जी लि0) द्वारा सोनौली-बलिया मार्ग (एस0एच-1) के कि0मी0 नं0-153 से 154 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं0-547, ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक प्रभावित क्षेत्रफल 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग बिना स्वीकृति के किया गया है। जिस पर विभागीय एच-2 केस संख्या-17/2022-23 दिनांक 20.09.2022 को इजरा किया गया है। जिसका प्रतिकर प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा रू0 50,000.00 मात्र की धनराशि ई-3 संख्या-12946/2023 दिनांक 12.05.2023 द्वारा जमा कराकर केस प्रशमित किया गया है।



(जगदीश आर)

विभागीय निदेशक


सामाजिक वानिकी प्रभाग

देवरिया

प्रभावित वन भूमि का नेट प्रजेन्ट बैल्यू (एन0पी0वी0) की गणना :-

जनपद-देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड (नयारा एनर्जी लिमिटेड) द्वारा सलेमपुर-देवरिया मार्ग (एस0एच0-1) ग्राम-अहिल्यापुर बुजुर्ग, तहसील-देवरिया की गाटा सं0-547, प्रस्तावित किये गये रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग में 0.75028 हे0 संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है प्रभावित वन भूमि का नेट प्रजेन्ट बैल्यू (एन0पी0वी0) की गणना भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार निम्न प्रकार है:-

वन का प्रकार	क्षेत्रफल हे0 में	ईको क्लास	घनत्व	प्रति हे0 बैल्यू रू0 मे	कुल एन0पी0वी0 की धनराशि
1	2	3	4	5	6
संरक्षित वन भूमि	0.075028 हे0	III	Dense 0.4	1228590.00	92178.65
योग :-	—	—	—	—	92178.65
या :-	—	—	—	—	92179.00


(जगदीश प्रसाद)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
देवरिया

दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना

जनपद-देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड (नयारा एनर्जी लिमिटेड) द्वारा सलेमपुर-देवरिया मार्ग (एस0एच0-1) ग्राम-अहिल्यापुर बुजुर्ग, तहसील-देवरिया की गाटा सं0-547, प्रस्तावित किये गये रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग से 0.075028 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

वन संरक्षण अधिनियम-1980 की धारा-2 के अन्तर्गत संरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी प्रयोग हेतु दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना:-

वन संरक्षण अधिनियम-1980 के उल्लंघन क्रम में भारत सरकार की पत्र संख्या-11-42/2017/एफ0सी0 दिनांक 19.01.2018 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-एफ0एन0 5-3/2007 (एफ0सी0 डिविजन) दिनांक 05.02.2009 में संशोधित पत्र संख्या एफ0एन0 5-3/2011, एफ0सी0 (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 व दिनांक 19.01.2022 द्वारा निर्धारित एन0पी0वी0 रेट के अनुसार गणना

प्रभावित एरिया 0.075028 हे0


ईको क्लास एवं हरियाली घनत्व = Eco-3, घनत्व-0.4
एन0पी0वी0 की दर:- = 1228590.00रू0 प्रति हे0
प्रभावित एरिया 0.075028 हे0 x 1228590 = 92179.00

दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना 2019 से 2023 तक

92179 x 5=460895.00

पांच वर्ष का ब्याज = $\frac{460895.00 \times 12 \times 5}{100} = 276537.00$

कुल दण्डात्मक एन0पी0वी0 = 276537+460895.00
= 737432.00


(जगदीश शर्मा)
प्रभाषीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया